

सविमानिका 10/5/16

17/5/16

कायनी काय राजाव लोक कसवेल
मि प्रेम वकील वादी उपर वीर
द्वारा प्रमुख विभाजन प्रभाव पर
बहु विडान अधिवक्ता वादी पुनी
मरी वकील वादी का विभाग
प्रभाव पर कायनी मरी वी

लिहाना T.D.R शिमगाजमंडी
द्वारा प्रमुख विभाजन प्रभाव वकील

— इमाल —

सारीस
सुप

सुप या कार्यालयी सुप इन्फ्लिग्रन्स जज

असलाह के
सुप की
के जारी

विभाजन निम्नानुसार

क्र.सं	नाम पसकार मय विबला	रक. नं.	रक. विभा	विभा
(1)	मूलचन्द 310 मांगीलाल	287	0.17	उज्जर
	जाति खाली सा. रीदडिया	290	1.49	-
	रहन बदमर	किला 2	1.66	ह.
(2)	हरिचन्द 310 मांगीलाल	287	1.03	मठ
	जाति खाली सा. रीदडिया	288	0.63	दो
	रहन बदमर	किला 2	1.66	ह.
(3)	गीताबाई पुत्री मांगीलाल	288	0.34	30
	जाति खाली सा. रीदडिया	289	1.32	दो
	रहन बदमर	किला 2	1.66	ह.
(4)	नेत्राकुमार 310 मांगीलाल	288	0.82	मठ
	जाति खाली सा. रीदडिया			
	रहन बदमर	किला 1	0.82	
(5)	बिरधीलाल 310 हीरालाल	287	0.40	दो
	जाति गूजर सा. लमोलिमा			
	रहन बदमर	किला 1	0.40	
(6)	गाम्भीबाई पति प्रदीप	289	0.44	30
	जाति किलाड सा. रीदडिया			
	रहन बदमर	किला 1	0.44	ह.

उपरोक्तानुसार रासम्य विचार के अमर
कामद ही नकरो के लामिम नी पाव
तदनुसार अंतिम ठिकी जारी हो पाममी
कैलन सुमाट केरुत दाकिन कमाए ही

चिन्मयी गोपाल
P.S. हरिसु

सा. क
ना
वा
पु
र
सा. क
वर्षा इ
के ता रोष
को जारी
पुद
सुभाष अ
उ म च
सुभाष यजह
महानता व
र्षा गवाह
नीस कमि
विल इजरा
सफारिक
सि: - इस
करना
म को

प्राथमरी डिकरी व मुकदमे

(ऑर्डर 20, कम 9-7, जस्टिस दंडवानी)

(Civil Procedure Code: Appendix 'D'-1)

अज अदायत - उपखण्ड अधिकारी मुकदमा - रामगंजमठडी
 व इवनाम - एस० डी० मीणा [R.A.S.]
मूलचंद नाम - हरिचन्द्र
 दावा व बत - 53.R.F. Act
 मुकदमा नं. 53 तारीख - 2014
 दावा मुकदमा आज वास्ते इनफिस्तान कतई रुज-रु S.J. MEGHA [R.A.S.]
 बहाजरी श्री S.R. महीर एड० मिनजानिब मुदई व एफए

मिनजानिब मुदायलाह भुग होकर, उक्त दिया जाता है मुदिकरी दी जाती है कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादगत अग्नि बाक माल मीणा क्षेत्र पुर्वा ख. नं. 287, 288, 289, 290 का वादी व पुलिस नं. 18 व 20 मध्य होलिंग विक्रयन किया जाता है लक्ष्मीनारायण राम गंजमठडी का आदेश दिया जाता है कि व उक्त अग्नि के विक्रयन जहाव R.F. Act मंडल नियम 18 व 21 के प्रावधानानुसार पैदा करें।

मिनजानिब मुदई गुबलिग वावत
 खर्चा इस मुकदमे के मय मुद व गरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलवावी तक को अदा करें।
 बसंत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12 माह 12 2015 को जारी की गई।

दस्तखत [Signature]
 ओहदा उपखण्ड अधिकारी
समयगंजमठडी

मुदई	ख्या	व.	मुदायलाह	ख्या	व.
स्टाम्प अर्जीदावा	..	/	स्टाम्प वकालतनामा	..	/
स्टाम्प वकालतनामा	..	/	स्टाम्प अर्जी	..	/
स्टाम्प यजह सबूत	..	/	महनताना वकील पर	..	/
महनताना वकील	..	/	खर्चा गवाहान	..	/
खर्चा गवाहान	..	/	फीस का रशमर	..	/
फीस कमिश्नर	..	/	शरत इजराय हुक्मनामा	..	/
शरत इजराय हुक्मनामा	..	/	मुतफरिह	..	/
मुतफरिह	..	/			
मीजान..	—	—	मीजान..	—	—

नोट: इस एक्ट के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दियाया गया हो या नहीं दर्ज करत चाहिये।

[Signature]
 उपखण्ड अधिकारी
 समयगंजमठडी

